15-18 वर्ष आयु वर्ग की विद्यालय छोड़ चुकी (आउट-ऑफ-स्कूल) किशोरियों का व्यावसायिक और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण

राष्ट्रीय संगोष्ठी रिपोर्ट

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

पांचवां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली 110001

वेबसाइट: http://ncpcr.gov.in/

विषय-सूची

प्राक्कथन	
आभार	
संक्षिप्ताक्षरों का विवरण	
प्रस्तावना	1
भारत में कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य	2
कार्यशाला के उद्देश्य	6
चर्चाओं का सार	6
निष्कर्ष	11
अनुशंसाएं	12
अनुलग्नक	
कार्यसूची	

प्राक्कथन

किशोर बालकों को प्रायः समस्याओं, उपद्रव और विद्रोह वाले व्यक्तियों का समूह माना जाता है। हालांकि, वास्तविकता इसके विपरीत है। जब भी सकारात्मक प्रोत्साहन और अनुकूल वातावरण प्रदान किया गया है, किशोरों ने इस अवसर का लाभ उठाया है। ये समाज के सार्थक रचनाशील और प्रतिभागी नागरिकों के रूप में पहचाने जाने के लिए उत्सुक हैं। अब समय आ गया है कि एक राष्ट्र के रूप में हम किशोरों को राष्ट्र निर्माण की परिसंपत्ति बनाने के लिए, उन्हें सही प्रोत्साहन, रोल मॉडल और परिवेश प्रदान करने के बारे में गंभीरता से विचार करें।

भारत में, 18 वर्ष तक की आयु के बालकों और 12-18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को किशोरावस्था की अवधि माना जा सकता है: इस समूह की किशोरियां अधिक असुरक्षित होती हैं। इन्हें औपचारिक शिक्षा और रोजगार की प्रणाली से बाहर रखे जाने का जोखिम अधिक होता है, जिससे वे अपने सशक्तिकरण और स्वतंत्रता के लिए किसी भी अवसर से वंचित रह जाती हैं। हालाँकि, 15-18 वर्ष की आयु के समूह को भारत में वर्तमान कौशल विकास कार्यक्रम से बाहर रखा गया है।

किशोर समूह की जटिल प्रकृति को देखते हुए यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी एक क्षेत्र भारत में किशोरियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर असर नहीं डाल सकता है। बहुआयामी दृष्टिकोण के महत्व और समग्र परिदृश्य के महत्व को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।

मैं, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को भारत में कौशल प्रशिक्षण संवाद के केंद्र में लाने के लिए श्री प्रियांक कानूनगो, सदस्य, शिक्षा प्रभाग, एनसीपीसीआर को बधाई देती हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं से सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे और विद्यालय छोड़ चुकी (आउट-ऑफ-स्कूल) किशोरियों को भारत की विकास योजना में शामिल किया जाएगा।

(स्तुति कक्कड़)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

आभार

15-18 वर्ष आयु वर्ग की विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों को व्यावसायिक और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के तरीकों पर विचार-विमर्श और चर्चा करने के लिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने प्रमुख हितधारकों को आमंत्रित करते हुए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। यह संगोष्ठी इस कमजोर समूह के लिए वर्तमान में चल रही विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों पर चर्चा करने तथा उनके सशक्तिकरण और गरिमापूर्ण जीवन-यापन के लिए व्यावसायिक और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के तरीके का सुझाव प्रदान करने के लिए एक मंच था।

मैं, आपके व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने और इस मामले पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) का आभार व्यक्त करता हूँ। सुश्री स्तुति कक्कड़, माननीया अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के सतत समर्थन और प्रोत्साहन के बिना यह संभव नहीं था। मैं, चर्चाओं में भाग लेने वाले और बहुमूल्य इनपुट प्रदान करने के लिए सभी संसाधन व्यक्तियों यथा प्रोफेसर मेधा सोमैया (टीआईएसएस, मुंबई), एनसीईआरटी (नई दिल्ली), एनआईओएस (नई दिल्ली), पीएसएससीआईवीई (भोपाल); गैर सरकारी संगठन; सेक्टर कौशल परिषदों के विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और सभी विशेषज्ञों का आभारी हूँ। मैं, इस संगोष्ठी के विचार की संकल्पना तैयार करने और इसका समन्वय करने और इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में आपके योगदान के लिए डॉ. (सुश्री) मधुलिका शर्मा, तकनीकी विशेषज्ञ (शिक्षा) का आभारी हूँ। मैं, श्री रजनीकांत और श्री परेश शाह - तकनीकी विशेषज्ञ (शिक्षा); श्री दुष्यंत मेहर, सुश्री अंशु, सुश्री आकांक्षा वर्मा, श्री राकेश प्रजापति - कार्य आधारित सलाहकार (शिक्षा); इस कार्यक्रम के आयोजन में लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए सुश्री भारती, श्री निखिल, श्री बृजेश और श्री ललित का भी आभारी हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि एनसीपीसीआर के सुझाव और अनुशंसाएं, 15-18 वर्ष की आयु की विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए रोड-मैप तैयार करने में सहायक साबित होंगे।

(प्रियंक कानूनगो)
सदस्य
शिक्षा प्रभाग

संक्षिप्ताक्षरों का विवरण

एजी	किशोरियां
डीएवाई	दीन दयाल अंत्योदय योजना
डीडीयू-जीकेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओएलएंडई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओएसजेएंडई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
एमडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफ	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
एनआईओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
एनआईटीआई (नीति)	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसडीपी	राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम
ओओएस	आउट-ऑफ-स्कूल
पीएमकेके	प्रधानमंत्री कौशल केंद्र
पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
आरजीएसईएजी-सबला	राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना
संकल्प	आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम
एसडीआई	कौशल विकास पहल
एसएससी	सेक्टर कौशल परिषद
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष

प्रस्तावना

भारत, सबसे अधिक युवा आबादी वाला विकासशील देश है। हालाँकि, भारत के अधिकांश कार्यबल के पास कोई औपचारिक कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है। एक ओर कुशल कार्यबल की बढ़ती आवश्यकता तथा दूसरी ओर आजीविका के अवसरों की तलाश में आबादी के विशाल हिस्से के साथ, कौशल विकास, देश के विकास के संदर्भ में अधिमान्य हो गया है। साथ ही, फिक्की और अर्नस्ट-यंग (2013) के एक अध्ययन में वर्ष 2020 तक पूरे विश्व में 47 मिलियन से अधिक कुशल श्रमिकों की कमी इंगित की गई है। यह भारत के लिए अपनी युवा आबादी को प्रशिक्षित करने और उन्हें पूरे विश्व में नौकरियां प्रदान करने और अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को सार्थक बनाने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करता है।

तथापि, भारत में कौशल विकास पाठ्यक्रम में कई चुनौतियों और मुद्दों का सामना करना पड़ता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में युवाओं को आजीविका अर्जन के लिए महत्वपूर्ण कौशल प्रदान नहीं किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, बहुत-से युवा या तो कार्यबल में शामिल नहीं हो पाते या अपेक्षित कौशल के बिना शामिल होते हैं। भारत में किशोरियों को उनकी न्यून नामांकन दर और शैक्षणिक उपलब्धि स्तर के कारण विशेष रूप से वंचित रखा जाता है। वे आर्थिक रूप से सबसे अधिक कमजोर समूहों में से हैं, जिन्हें आम तौर पर वित्तीय पूंजी तक पहुंच का अभाव होता है और उनके पास शिक्षा, ज्ञान एवं कौशल, जो आर्थिक उन्नति का कारण बन सकते हैं, प्राप्त करने के अवसर अत्यधिक सीमित होते हैं। किशोरियों को प्रायः सामाजिक समर्थन का अभाव होता है, और सामुदायिक सामाजिक मानदंड उनकी आर्थिक उन्नति में बाधाएँ उत्पन्न कर सकते हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण, किशोरियों को वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने, बचत की अच्छी आदतें स्थापित करने और श्रम बल में भागीदारी के लिए उनके भावी दृष्टिकोण में सुधार में सहायता करते हुए, उनके जीवन में परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। यह बालिकाओं को अधिक गतिशीलता भी प्रदान कर सकता है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकता है, उनके सामाजिक नेटवर्क को सुदृढ़ कर सकता है और उनके स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकता है। किशोरियों के जीवन में सुधार से, उनके परिवारों और समुदायों का भी कल्याण होता है।

मुख्य रूप से कौशल के दो सेट अर्थात् जीवन-यापन कौशल और तकनीकी/व्यावसायिक कौशल, रोजगार उद्योग में सफलता में योगदान करते हैं। जीवन-यापन कौशल को अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार के लिए मनोसामाजिक क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की अकांक्षाओं और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। इसमें जानकारी का विश्लेषण और उपयोग करने के लिए संज्ञानात्मक कौशल, व्यक्तिगत एजेंसी विकसित करने और स्वयं को प्रबंधित करने के लिए व्यक्तिगत कौशल, और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संचार और संवाद करने के लिए अंतर-व्यक्तिगत कौशल (यूनिसेफ) शामिल हैं।

भारत में, 15-18 वर्ष की आयु वर्ग की 39.4 प्रतिशत किशोरियाँ किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा नहीं हैं। इसी आयु वर्ग में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में न जाने वाले किशोरों का प्रतिशत 35% है। 15-18 वर्ष की विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं की कुल जनसंख्या में से 64.8% गैर-कामगार हैं अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिल्कुल 'कार्य' नहीं करते हैं, जिनमें छात्र, घरेलू कार्यों में लगे व्यक्ति, आश्रित, पेंशनभोगी, भिखारी आदि शामिल हैं। दूसरे शब्दों में लगभग 65 प्रतिशत बालिकाएं, जो किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा नहीं हैं, या तो घरेलू गतिविधियों में लगी हुई हैं, आश्रित हैं या भीख मांगने आदि के काम में लगी हुई हैं। दूसरी ओर, विद्यालय छोड़ चुके बालकों में से 33.4% गैर-श्रमिक हैं।

भारत में कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान में, भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण औपचारिक के साथ-साथ गैर-औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुशल जनशक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अप्रैल, 2016 तक की स्थिति के अनुसार, भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की संख्या 13105 थी। इनमें से राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी आईटीआई) की संख्या 2293 थी, जबकि निजी आईटीआई की संख्या 10812 थी।
- रोजगार सृजन, कौशल और आजीविका के लिए बजट आबंटन को संशोधित अनुमान 2016-17 के 14870 करोड़ रुपये से बढ़ाकर बजट अनुमान 2017-18 में 17273 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- केंद्रीय बजट 2017-18 के अनुसार; देश भर के 600 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। देश भर में 100 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 4000 करोड़ रुपये की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम (संकल्प) शुरू किया जाएगा। संकल्प के जरिए 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2017-18 में 2,200 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक मूल्य परिवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) का अगला चरण भी शुरू किया जाएगा।
- 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ सशक्त बनाने के लिए वन-स्टॉप कंवर्जेंट सपोर्ट सेवाएं प्रदान करेगा।
- केंद्र सरकार का फोकस अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और कौशल विकास पर है। बजट 2017-18 का अधिकतम भाग, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए दिया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदायों के 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- केंद्रीय बजट 2017-18 में विभिन्न छात्रवृत्ति और कौशल विकास योजनाओं जैसे "सीखो और कमाओ", "नई मंजिल", "नई रोशनी", "उस्ताद", "गरीब नवाज़ कौशल विकास केंद्र" और "बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृत्ति" के लिए 2600 करोड़ रुपए से अधिक की निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (आरजीएसईएजी)-सबला

व्यावसायिक शिक्षा और जीवन-यापन कौशल सदैव भारत की शिक्षा नीतियों और समग्र विकास एजेंडा की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (आरजीएसईएजी)-सबला भारत में एकमात्र ऐसी सरकारी योजना है जिसमें विद्यालय छोड़-चुकी किशोरियों (15-18 वर्ष की आयु) के लिए व्यावसायिक और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान है।

राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के तहत 16 वर्ष और उससे अधिक आयु की बालिकाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, इस योजना की प्रमुख सेवाओं और उद्देश्यों में से एक है। योजना के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के सामाजिक-आर्थिक विकास में व्यावसायिक प्रशिक्षण का योगदान महत्वपूर्ण होता है। 16 वर्ष से अधिक आयु की विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं को, 18 वर्ष की आयु के बाद स्वराजगार की दिशा में अनुकूलन हेतु, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के साथ इस योजना का अभिसरण किया गया है। इस योजना में गैर-जोखिमपूर्ण आय सृजन कौशल पर फोकस किया जाता है, जो क्षेत्र-विशिष्ट हो सकता है। विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) एनएसडीपी के विभिन्न मॉड्यूल के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय व्यवसायों, प्राथमिकताओं, रोजगार-क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध विकल्पों में से व्यवसायों और वृत्ति का चयन करती हैं। कुल मिलाकर, सुविज्ञ और कुशल किशोरियों के लिए उपयुक्त आजीविका विकल्पों की तलाश हेतु एक समर्थकारी परिवेश तैयार किया जाना चाहिए।

जीवन-यापन कौशल व्यक्तिगत क्षमता को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति को दैनिक जीवन की अकांक्षाओं और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है। किशोरियाँ ज्ञान प्राप्त करती हैं और उन दृष्टिकोणों एवं कौशलों का विकास करती हैं जो उनमें स्वस्थ और सकारात्मक व्यवहार को अपनाने का समर्थन करते हैं और बढ़ावा देते हैं। इसका मूल उद्देश्य किशोरियों को स्वयं के विकास में सक्षम बनाना है। जीवन-यापन कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण में समाविष्ट व्यापक विषयों में आत्मविश्वास सृजन, स्वजागरूकता और आत्मसम्मान, निर्णय-निर्माण, महत्वपूर्ण मंथन, संचार कौशल, अधिकार और पात्रता, तनाव से निपटना और सहकर्मी दबाव के सापेक्ष प्रतिक्रिया, कार्यात्मक साक्षरता (जहाँ भी आवश्यक हो) आदि शामिल हो सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी आरजीएसईएजी के जीवन-यापन कौशल घटक को युवा मामले विभाग की समान योजनाओं/हस्तक्षेपों से लिंक करते हैं और किशोरियों के लिए अपनी योजनाओं और निधियों के उपयोग की संभावना का भी पता लगाते हैं।

भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के राष्ट्रीय स्तर पर विकास और समन्वय के लिए शीर्ष संगठन है। रोजगार सेवा का संचालन रोजगार कार्यालयों के एक देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन होते हैं। डीजीटी भी इसके प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं संचालित करता है। विशेष रूप से सामान्य नीतियों, सामान्य मानकों और प्रक्रियाओं, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और वृत्ति परीक्षण से संबंधित क्षेत्र में, राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों का विकास, डीजीटी की जिम्मेदारी है। किंतु, रोजगार कार्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नियमित प्रशासन का अधिकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के पास है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग के बीच जिम्मेदारियों के वितरण को, कार्य और उत्तरदायित्व तालिका में दर्शाया गया है।

डीजीटी के प्रमुख कार्य निम्मानुसार हैं:

- व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समग्र नीतियों, मानदंडों और मानकों को तैयार करना।
- शिल्पकारों और शिल्प प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षण सुविधाओं में विविधता लाना, इन्हें अद्यतन बनाना और इनका विस्तार करना।
- विशेष रूप से स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान का आयोजन और संचालन करना।
- शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुओं के प्रशिक्षण के दायरे को लागू करना, विनियमित करना और बढ़ाना।
- महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श प्रदान करना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों की मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार क्षमताओं में वृद्धि कर उनकी सहायता करना।
- नियोजन अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और रोजगार सेवा कार्मिकों द्वारा उपयोग के लिए कर्मचारीवृंद प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना।
- रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित जानकारी एकत्र करना तथा उसका प्रसार करना और एकसमान रिपोर्टिंग प्रक्रिया निर्धारित करना।

भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मुख्य तंत्र निम्नानुसार हैं:

➢ *कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजना*

कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजना के तहत मॉड्यूलर रोजगार-योग्य कौशल (एमईएस), विशेष रूप से कम आयु में विद्यालय छोड़ने वाले व्यक्तियों और किसी असंगठित क्षेत्र में मौजूदा

कामगारों को रोजगारपरक कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालय छोड़ने वाले व्यक्तियों, मौजूदा कामगारों, आईटीआई स्नातकों आदि को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि सरकारी, निजी संस्थानों और उद्योग में उपलब्ध अवसंरचना का इष्टतम उपयोग करके उनकी रोजगार क्षमता में सुधार किया जा सके। बाल श्रम में लगे 14 वर्ष से अधिक आयु के उन लोगों को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगारपरक कौशल सीखने में सक्षम बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

- *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)*

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। एक कुशल भारत के विजन के साथ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत को बड़े पैमाने पर गति और उच्च मानकों के साथ कुशल बनाने पर लक्षित है। पीएमकेवीवाई एक प्रमुख योजना है जो इस विजन को और अधिक साकार करने की दिशा में अग्रसर है। कार्यान्वयन के पहले वर्ष के सफल होने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश के 10 मिलियन युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए अगले चार वर्षों (2016-2020) के लिए योजना को अनुमोदित किया गया है। यह योजना केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के लिए लागू है।

- *दीन दयाल उपाध्याय ग्रामी कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई)*

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 25 सितंबर 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) अंत्योदय दिवस की घोषणा की। डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है, जिसे ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाने और ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ कार्य सौंपा गया है। डीडीयू-जीकेवाई विशिष्ट रूप से गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर लक्षित है। कौशल भारत अभियान के एक भाग के रूप में, यह योजना मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ और स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया अभियानों जैसे सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- *दीन दयाल अंत्योदय योजना - डीएवाई*

दीन दयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास और अन्य साधनों के जरिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से शहरी और ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए एक व्यापक योजना है। यह योजना प्रत्येक शहरी गरीब को 15,000 रुपये से 18,000 रुपये के व्यय के साथ कौशल प्रदान करने; 2.00 लाख रुपये की लागत वाली व्यक्तिगत परियोजनाओ और 10.00 लाख रुपये की लागत वाले समूह उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वराजगार को बढावा देने शहरी नागरिकों की भारी मांग को पूरा करने

के लिए शहरी आजीविका केंद्रों के माध्यम से बाजारोन्मुख कौशल प्रदान करके शहरी गरीबों को प्रशिक्षण देने पर लक्षित है। प्रत्येक केंद्र को 10.00 लाख रुपये का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।

- *सेक्टर कौशल परिषदें (एसएससी)*

एसएससी को एनएसडीसी द्वारा स्वायत्त उद्योग के नेतृत्वाधीन निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। ये परिषदें, व्यावसायिक मानक और योग्यता निकायों का निर्माण करती हैं, योग्यता रूपरेखा विकसित करती हैं, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं, कौशल खामी अध्ययन आयोजित करती हैं और अपने द्वारा विकसित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों से जुड़े पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षुओं का आकलन और प्रमाणन करती हैं। एनएसडीसी की जानकारी के अनुसार -

- 2400 से अधिक विद्यालयों, 2 बोर्डों को कवर करते हुए 10 राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिससे 2.5 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। इनका पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) और एसएससी प्रमाणन पर आधारित है। एनएसडीसी शिक्षा और प्रशिक्षण को एनएसक्यूएफ के अनुरूप बनाने के लिए यूजीसी/एआईसीटीई के तहत 21 विश्वविद्यालयों, सामुदायिक कॉलेजों के साथ कार्य कर रहा है।
- 1400 प्रशिक्षण भागीदारों, 28179 प्रशिक्षण केंद्रों, 16479 प्रशिक्षकों, 20 जॉब पोर्टल्स, 77 मूल्यांकन एजेंसियों और 4983 पैनलबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं के साथ कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस)। समर्पित कार्मिकों द्वारा समर्थित आईएसओ 20000/27000 के साथ प्रमाणित होस्टिंग अवसंरचना।

एसएससी की उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन या कार्यकरण के साधनों की जांच करने पर, यह पाया गया है कि प्रभावी कार्यान्वयन तथा सभी बालकों और युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए, योजनाओं और एजेंसियों को अंतर-संबद्ध करने की आवश्यकता है और प्रयासों को अभिसरण करने की आवश्यकता है ताकि इन तंत्रों से अधिकतम लाभ उठाया जा सके। हालांकि, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर 14 वर्ष से अधिक की आयु के बालकों के लिए खुले हैं, ये केवल 14-18 वर्ष (किशोर) की आयु के बालकों के लिए विशिष्ट नहीं हैं और इसलिए परिणामस्वरूप बालिकाओं का कम आयु में विवाह और रोजगार न मिल पाने की घटना देखी जाती है। इसलिए, विद्यालय छोड़ने वाली किशोरियों के प्रशिक्षण के लिए अधिक सुदृढ़ तंत्र और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि इन कार्यक्रमों का लाभ उन बालिकाओं तक पहुँचे जो किसी भी कारण से विद्यालयी शिक्षा और औपचारिक शिक्षा छोड़ देती हैं।

भारत में जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) 2005 में रचनात्मक अधिगम अनुभवों और पूछताछ-आधारित दृष्टिकोण, कार्य-संबंधित ज्ञान और व्यापक जीवन कौशल के विकास पर जोर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के एजेंडे के तहत भी उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के लिए जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध है।

- *राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान*

एनआईओएस द्वारा किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) के तहत किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम (एआरएसएच), किशोर शिक्षार्थियों को आवश्यक कौशल प्रदान करने पर लक्षित है जो उन्हें सुविज्ञ निर्णय लेने में सहायता करेगा। किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य किशोर शिक्षार्थियों के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्ना करना, शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में सचेत करना, उनके जीवन-यापन कौशल को सुदृढ़ करना है, जो उन्हें सुविज्ञ निर्णय लेने में मदद करेगा।

- *स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू)*

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) ने आवश्यक जीवन-यापन कौशल के साथ बालकों और किशोरों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से एक टूलकिट विकसित किया है ताकि उन्हें यौन संचारित संक्रमण और एचआईवी के जोखिम को दूर करने के साथ-साथ स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों के एचआईवी संक्रमण से निपटने में सक्षम बनाया जा सके।

- *राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)*

किशोर मार्गदर्शन सेवा केंद्र (एजीएससी), व्यापक समूह कार्य हस्तक्षेप, कार्यशालाओं और जागरूकता सृजन, पारिवारिक जीवन शिक्षा, जीवन-यापन कौशल शिक्षा, पोषण शिक्षा, तनाव प्रबंधन आदि के विभिन्न मुद्दों पर अभियान के माध्यम से किशोरों के लिए प्रोत्साहक, निवारक और सहायक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विकसित करने के लिए विद्यालयों और अन्य संस्थानों में सभी हितधारकों के साथ सहयोग करने पर लक्षित है।

इन सभी पहलों की समीक्षा इस तथ्य को उजागर करती है कि यद्यपि युवाओं के लिए व्यावसायिक और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्यालय में या विद्यालय के बाहर बहुत-से अवसर हैं; विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों के प्रशिक्षण के लिए अधिक सुदृढ़ तंत्र और अधिक अवसरों की आवश्यकता है। ऐसा इन कार्यक्रमों का लाभ 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं, जो किसी भी कारण से विद्यालयी शिक्षा और औपचारिक शिक्षा छोड़ देती हैं, तक पहुंचाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए, आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र से विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हुए एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

उद्देश्य

बाल अधिकारों पर मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करना और बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस अधिदेश के भीतर, सुविज्ञ सिफारिशें प्रदान करने के लिए, एनसीपीसीआर ने इस संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों; सेक्टर कौशल परिषदों; और व्यावसायिक शिक्षा या जीवन कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

विशेष रूप से, यह संगोष्ठी किशोरियों को व्यावसायिक और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के उपायों का पता लगाने के लिए सभी प्रतिनिधियों और प्रस्तुतिकर्ताओं को अवसर प्रदान करने पर लक्षित थी। इसलिए, इस संगोष्ठी के उद्देश्य निम्नानुसार थे;

- प्रतिनिधियों और प्रस्तुतिकर्ताओं को इस विषय पर सर्वोत्तम परिपाटियों और विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करना।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण और कार्य के अवसरों के मौजूदा मॉडलों की जांच करना;
- विभिन्न व्यावसायिक और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण तंत्रों के अभिसरण के लिए एक रोड मैप बनाना।

चर्चाओं का सार

श्री प्रियांक कानूनगो ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक संक्षिप्त परिचय देते हुए इसकी शुरुआत की और उस समस्या अर्थात् शिक्षा को संबोधित किया जिसका हम एक देश के रूप में सामना कर रहे हैं।

भारत में, 15-18 वर्ष आयु वर्ग की 39.4 प्रतिशत किशोरियां किसी भी शैक्षणिक संस्थान का हिस्सा नहीं हैं। इसी आयु वर्ग में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में न जाने वाले किशोरों का प्रतिशत 35% है।

किशोरियां आर्थिक रूप से सबसे अधिक कमजोर समूहों में से हैं, जिन्हें आम तौर पर वित्तीय पूंजी तक पहुंच का अभाव होता है और उनके पास शिक्षा, ज्ञान एवं कौशल, जो आर्थिक स्वतंत्रता और उन्नति का कारण बन सकते हैं, प्राप्त करने के अवसर अत्यधिक सीमित होते हैं। किशोरियों को प्रायः सामाजिक समर्थन का अभाव होता है, और सामुदायिक सामाजिक मानदंड उनकी आर्थिक उन्नति में बाधाएँ उत्पन्न कर सकते हैं। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन चरण है और बालिकाओं को हमारे राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण किसी भी तरह के रचनात्मक कार्य में शामिल होने की अनुमति नहीं है और वे घरेलू कामकाज तक ही सीमित हैं। आम लोगों में इस तरह के व्यवहार के बहुत-से कारण हैं और इसका प्रमुख कारण धार्मिक जनादेश माना जा सकता है। एनसीपीसीआर के आकलन के अनुसार, 2.5 करोड़ बालक सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं। भारत की अपनी जटिल समस्याएं हैं जिनके लिए हमारे स्वयं के प्रमाणीकृत नवीन समाधानों की आवश्यकता है। भारत में, वर्तमान में जीवन-यापन कौशल के लिए विशेष रूप से कोई पाठ्यक्रम नहीं है और इन्हें विकसित किए जाने और एक उचित रूपरेखा के भीतर शामिल किए जाने की आवश्यकता है। किशोरियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए एक सटीक मार्ग विकसित करने के लिए, सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

- चंदना दास (राष्ट्रीय कार्यकारी, भारतीय स्त्री शक्ति) ने इस बारे में बात की कि 15-18 के बीच की आयु, किसी बालिका के जीवन के लिए भावनात्मक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से विभिन्न परिवर्तनों को परिभाषित करने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, किंतु समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के कारण यह विकासशील आयु उचित रूप से पोषित नहीं हो पाती है।

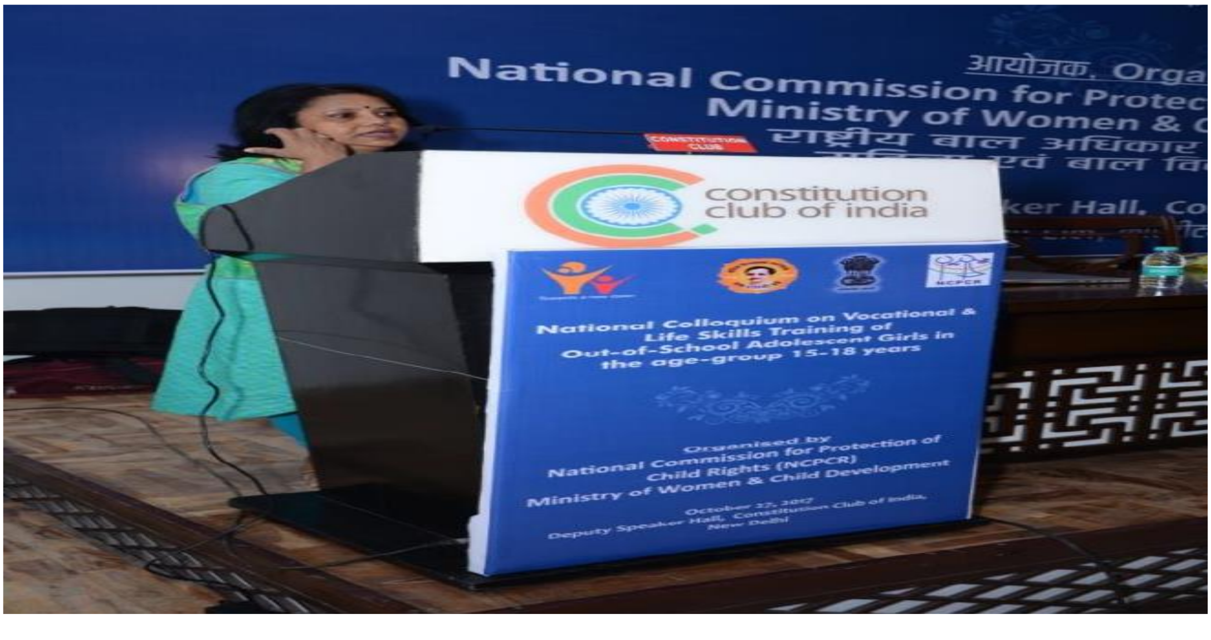

अवसंरचना की कमी, निर्धनता, कम आयु में विवाह, सांस्कृतिक वर्जनाएं आदि जैसी समस्याएं बालिकाओं के विकास में बाधा का कार्य करती हैं। अपनी प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने भारतीय स्त्री शक्ति संघ द्वारा उपयोग किए जा रहे अपने विचारों और परिपाटियों जैसे बालिकाओं और बालकों का किशोरावस्था प्रशिक्षण, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, 'कुतुहल' और 'जिज्ञासा' जैसी पुस्तकों का प्रकाशन को पेश किया। उन्होंने आगे किशोरियों को जीवन-यापन कौशल प्रदान करने के उद्देश्य के बारे में बताया जिसमें गुड टच और बैड टच के बीच अंतर की समझ विकसित करना, मानव कामुकता में बदलाव से सकारात्मक तरीके से निपटना, साइबर अपराधों से संरक्षण/निषेध के बारे में जानकारी, फोन पर गलत सामग्री तक पहुंचने से परिवर्जन, आकर्षण और प्यार के बीच कुशल अंतर और अन्य विविध मुद्दें शामिल थे। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, स्थायी आजीविका, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के पास औपचारिक शिक्षा नहीं हो सकती है लेकिन यह बुद्धि का निर्धारण नहीं करता है, इनमें से अधिकतर लोगों के पास अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमता होती है और उन्हें केवल पोषण की आवश्यकता होती है।

- मेधा सोमैया (टीआईएसएस) ने समाज के सबसे उपेक्षित हिस्से को स्वीकार कर, उन्हें कौशल प्रशिक्षण का केंद्रबिंदु बनाने का सुझाव देते हुए अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि बेहतर परिणामों के लिए मौजूदा रूपरेखा में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए प्रणाली के मौजूदा मॉडलों की जांच की जानी चाहिए। सरकार को बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों सहित एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने टीआईएसएस द्वारा चलाए जा रहे

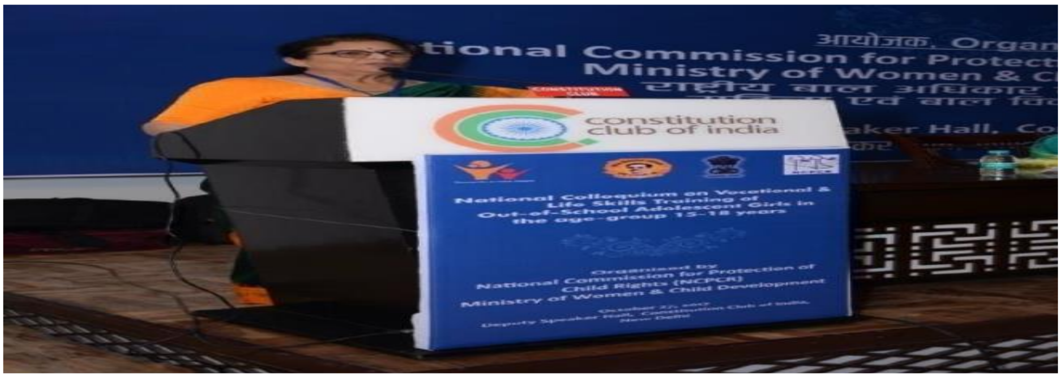

वर्तमान कार्यकमो जैसे एक वर्षीय डिप्लोमा रोजगार योग्य दो वर्ष उन्नत डिप्लोमा रोजगार योग्य तीन वर्ष डिग्री स्नातक और 8 दिन से 6 माह तक के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का उलेख किया| सभी पाठ्यकर्मों को राष्टीय शिशु प्रोत्साहन योजना (एन,ए पी एस) के अंतर्गत

- डॉ अनीता नायर (उप निदेशक वीई, एनआईओएस- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) ने एनआईओएस के विजन, जो "गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए सार्वभौमिक और लचीली पहुंच के साथ सतत समावेशी शिक्षा" है, को अभीस्वीकार करते हुए अपनी प्रस्तुति की शुरूआत की। अपनी प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने एनआईओएस के मिशन जैसे ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) प्रणाली के माध्यम से स्नातक-पूर्व स्तर तक प्रासंगिक, निरंतर और समग्र शिक्षा प्रदान करना, स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान देना और समावेशनीयता और सामाजिक न्याय के लिए अधिमान्य लक्ष्य समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना जैसे मिशनों को प्रस्तुत किया।

एनआईओएस, पांच विभागों, 22 क्षेत्रीय केंद्रों, 3 उप-क्षेत्रीय केंद्रों और 1 प्रकोष्ट के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। इसमें लगभग 28 लाख शिक्षार्थियों का समग्र नामांकन है जो इसे विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली बनाता है। एनआईओएस के लक्ष्य समूहों में विद्यालय छोड़ने वाले बालक, बालिकाएं और महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालक, विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच प्राप्त न कर सकने वाले ग्रामीण बालक, शहरी बस्तियों के अल्पसुविधा प्राप्त बालक, आंशिक रूप से नियोजित या बेरोजगार युवा, दिव्यांग बालक और भौगोलिक रूप से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले बालक, जिन्हें माध्यमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, शामिल हैं।

एनआईओएस, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय (एमओटी), सैनिकों को शिक्षित करने के लिए सेना, कैदियों की शिक्षा के लिए जेल और भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के साथ साझेदारी और सहयोग कर रहा है।

- सुश्री विजया शर्मा ने 12 से 18 वर्ष की आयु, जब महत्वपूर्ण जैविक परिवर्तन शुरू होते हैं, के बालकों के बारे में बात की। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि यह संभवतः सबसे भ्रमित करने वाला समय है जब बच्चे अपने शरीर और विपरीत लिंग के बारे में अलग-अलग भावनाएँ महसूस करने लगते हैं।

यह ऐसा समय होता है जब बालिकाओं और बालकों को अचानक होने वाले विकास का सामना करने के कारण परामर्श और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। यह ऐसी आयु होती है, जब बालकों को एक स्वस्थ विचार प्रक्रिया विकसित करने और जीवन के प्रमुख निर्णयों और विकल्पों के लिए क्षमता का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। उनके बेहतर भविष्य की दिशा में स्थिति और दृष्टि के तार्किक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए माता-पिता को उनके चरित्र निर्माण में उनका समर्थन करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें बच्चों को प्रेरित करने और सभी को यह महसूस कराने के लिए कार्यक्रम की शुरूआत करने की आवश्यकता है कि वे जीवन के हर पहलू में समान हैं। किशोरों का मन बहुत जिज्ञासु होता है और वे बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन माता-पिता /

शिक्षक उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए हर स्थान पर मौजूद नहीं हो सकते हैं, इसलिए, यह आवश्यक है कि सही निर्णय लेने के लिए, उन्हें मन को सही स्थिति में ढाला जाए। एक सुदृढ़ भारत के लिए उन्हें धैर्यवान बनने की आवश्यकता है।

- श्री आमोद कंठ (प्रयास एनजीओ के संस्थापक) ने बाल श्रम प्रतिषेध संशोधन अधिनियम, 2016 का उल्लेख करते हुए शुरुआत की, जिसमें उल्लेख किया गया है कि किसी भी किशोर को अनुसूची में निर्धारित किसी भी जोखिमपूर्ण व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी: परंतु केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे गैर-जोखिमपूर्ण कार्य की प्रकृति को निर्दिष्ट कर सकती है जिसमें इस अधिनियम के तहत किसी किशोर को कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

उन्होंने आगे इस प्रमुख समस्या को संबोधित किया कि माध्यमिक शिक्षा के बाद बच्चे 18 वर्ष की आयु तक कार्य नहीं कर सकते हैं, जिससे उनकी पूर्ववर्ती शिक्षा निष्फल हो जाती है, इसलिए 14 से 18 वर्ष के किशोरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार "आप ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं जो किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण में है?", एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विभिन्न राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

- प्रो. सरोज यादव (एनसीईआरटी) ने वृद्धि/विकास में तेजी, विपरीत लिंग संबंधी जिज्ञासा, लैंगिक रूढ़ियों और भेदभाव के बारे में गलत धारणाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया।

- उन्होंने तीसरे लिंग को शामिल करने, योजनाओं में मान्यता देने और मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन, एचआईवी/एड्स, चिंता प्रबंधन और जीवन कौशल जैसे मुद्दों के प्रति माता-पिता और बच्चों के बीच अच्छे संचार की पुरजोर अनुशंसा की। शिक्षा प्रणाली की संरचना ऐसी होनी चाहिए जो न केवल ज्ञान प्रदान करे बल्कि जीवन-यापन कौशल भी प्रदान करे, इसके लिए शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण को सम्मिलित करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अध्यायों के मध्य में यौन जिज्ञासा, समय-पूर्व संभोग, समय-पूर्व गर्भधारण तथा विपरीत लिंग जैसे जटिल विषयों से संबंधित विभिन्न अज्ञात प्रश्न-उत्तरों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने में मीडिया को शामिल होना चाहिए।
- ग्रीन जॉब्स (द स्किल इकोसिस्टम इन इंडिया एंड स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स) ने यह उल्लेख करते हुए शुरुआत की कि भारत विश्व के सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों में से एक है और इसकी आबादी का 62% से अधिक भाग 15-59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग वाले व्यक्ति है। कामकाज की आयु में स्वीकार्य लचीलेपन पर बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ जीवन-यापन कौशल के लिए अनुमोदित योग्यता पैक भी आवश्यकत हैं। कार्यबल में बेहतर परिणाम के लिए लोगों को शिक्षा और जीवन कौशल प्रशिक्षण के विचार के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से अभ्यस्त बनाया जाना चाहिए।

- डॉ. राजेश खंबायत (संयुक्त निदेशक, पीएसएससीआईवीई-एनसीईआरटी) ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के मामले को संबोधित किया।

- उन्होंने जीवन-यापन कौशल के लिए वर्तमान में एनसीईआरटी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और राष्ट्रीय डिप्लोमा की भी जानकारी दी। उन्होंने कृषि और लॉजिस्टिक जैसी सभी श्रेणियों और कार्य भूमिकाओं में प्रदर्शित किए जाने वाले रोजगार कौशल को विकसित करने पर बल दिया।

श्री प्रियांक कानूनगो, सदस्य (एनसीपीसीआर) द्वारा समापन टिप्पणियां

- विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों के लिए जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल के संबंध में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ विद्यालय में अध्ययनरत बालकों के लिए है, किंतु विद्यालय छोड़ चुके बालकों के लिए जीवन कौशल हेतु पाठ्यचर्या की रूपरेखा की आवश्यकता है जिसे राज्यों द्वारा उनकी आवश्यकता/अपेक्षा के अनुसार अपनाया जा सकता है।
- विभिन्न विभागों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की गई हैं किंतु 15-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

- एसएससी उद्योग संचालित सेक्टर और प्रणाली हैं, किंतु श्रम कानून की धारणा को गलत समझा गया है। बाल श्रम अधिनियम 2016 में उल्लेख है कि 14 वर्ष की आयु के बाद बालक कामकाज कर सकते हैं किंतु उनके प्रशिक्षण और स्थापन के लिए अभी तक कोई व्यवस्था जैसे घंटे, मजदूरी आदि अधिसूचित नहीं की गई है।

श्रीमती स्तुति कक्कड़, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर द्वारा विशेष संबोधन

श्रीमती कक्कड़ ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आयोजित करने के लिए श्री प्रियांक कानूनगो, सदस्य (एनसीपीसीआर) को बधाई देते हुए अपना संबोधन आरम्भ किया। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण समावेशनीयता का एक तरीका है। जब तक हम चैरिटी मोड से अलग होकर कार्य नहीं करते, तब तक कमजोर या वंचित वर्ग को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। उपार्जन करने और स्वतंत्र होने में सक्षम होने से गरिमा और गर्व होता है।

एक समूह के रूप में हमें भारत की युवा आबादी की क्षमता का उपयोग करने के तरीके और साधन विकसित करने की आवश्यकता है। इनकी अनदेखी के गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून उन किशोरों को संरक्षण देता है, जो कानून के साथ संघर्ष कर रहे हैं और जिनका पूर्ववृत्त उपलब्ध नहीं होगा, किंतु पूर्व रोजगार रिकॉर्ड को जानना भी नियोक्ता का अधिकार है। इन जटिलताओं में न उलझने के लिए यह भी जरूरी है कि इन बालकों के लिए स्वरोजगार के

अवसर सृजित किए जाएं। हमें स्वरोजगार के वित्तपोषण के साधनों का पता लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

श्री राकेश श्रीवास्तव (सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा विशेष संबोधन

श्री श्रीवास्तव ने सशक्त देश के लिए माताओं, किशोरों, बालकों और अवयस्कों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रोताओं को सूचित किया कि लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो 27 लाख कर्मचारी-बल के साथ 11 करोड़ लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

डब्ल्यूसीडी-सबला की प्रमुख योजना में 11-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। तथापि, अगले चरण में 15-18 वर्ष आयु वर्ग को बाहर रखा जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों का पालन अत्यंत विश्वास और अनुशासन के साथ किया जाना चाहिए।

उन्होंने वादा किया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस मामले में सक्रिय रूप से भाग लेगा और पूरे देश में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एनसीपीसीआर के साथ सहयोग करेगा। उन्होंने वादा किया कि इसके लिए अतिरिक्त संशोधनों पर भी चर्चा की जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए वित्तीय मुद्दों के संबंध में, उन्होंने सुझाव दिया कि आरएमके योजना की जांच की जानी चाहिए क्योंकि इस योजना में 18 वर्ष से कम आयु की किशोरियों के लिए प्रावधान सम्मिलित

किया जा सकता है। यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है, तो इसके संबंध में कार्रवाई की जा सकती है।

अनुशंसाएं

संगोष्ठी के दौरान हुई चर्चा में उन किशोरियों को व्यावसायिक और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जो किसी भी कारण से शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाती हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आयोग की विशिष्ट अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं। अनुशंसाओं को दो भागों अर्थात् नीतिगत स्तर के हस्तक्षेप, जिनके लिए सुदृढ़ चर्चा और योजना की आवश्यकता होती है; और तत्काल उपाय, जो तत्काल प्रभाव के लिए किए जा सकते हैं, - में विभाजित किया गया है।

I. <u>तत्काल उपाय</u>

1. **विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों को पुनः विद्यालय से जोड़ने के बजाय परिवर्तन के अवसर प्रदान करना**: यूडीआईएसई 2015-16, भारत में माध्यमिक शिक्षा पर फ्लैश सांख्यिकी-सार्वभौमिकरण की ओर प्रगति के अनुसार, 88.66% बालिकाएं माध्यमिक स्तर पर प्रवेश करती हैं। शेष बालिकाएं विभिन्न कारणों से माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी नहीं रखती हैं। इसलिए, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर बच्चों को लक्षित करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें कम आयु में ही शामिल किया जा सके। इसके लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि, सीएलपीआर अधिनियम, 2016 की धारा A के अनुसार, 15-18 वर्ष की आयु के बालकों को अनुसूची में निर्दिष्ट जोखिमपूर्ण व्यवसायों में कार्य करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, श्रम मंत्रालय को मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से गैर-जोखिमपूर्ण व्यवसायों में बालकों के कामकाज करने की परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए।
2. **प्रवेश स्तर की आयु को फिर से परिभाषित करना**: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीएंडई) को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश स्तर को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसके लिए, यह महत्वपूर्ण है कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बालकों द्वारा किए जा सकने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए नौकरी की भूमिकाओं के अनुसार पात्रता मानदंड निर्धारित किए जाएं।
3. सही आयु में शामिल होना: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित की गई है और भारत में कौशल विकास कार्यक्रम में 18 वर्ष की आयु में बच्चों को शामिल किया जाता है। इसलिए, इस बड़े अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है और 15-18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी शिक्षा और संसाधनों के अपव्यय को रोकने के लिए यथाशीघ्र लामबंद किया जाना चाहिए।
4. **15-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के लिए सबला योजना का विस्तार**: राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (आरजीएसईएजी)-“सबला” किशोरियों की पोषण स्थिति में सुधार करके,

उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके, उन्हें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूक बनाकर, विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों को फिर से विद्यालय से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना वर्ष 2010-11 में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 200 जिलों में शुरू की गई थी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.11.2017 की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, 303 जिलों को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। हालांकि, इसमें उल्लेख किया गया है कि योजना को 11-14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों हेतु कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित किया गया है और 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

II. <u>नीतिगत स्तर के हस्तक्षेप</u>

1. **विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों को पुनः विद्यालय से जोड़ने के बजाय परिवर्तन के अवसर प्रदान करना**: जीवन-यापन कौशल और व्यावसायिक कौशल के घटक को उच्च प्राथमिक स्तर पर एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि कौशल को अल्पायु में ही विकसित किया जा सके जिससे औपचारिक शिक्षा जारी रखने या व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण की शुरूआत करने के बेहतर अवसर मिल सकें।
2. **किशोरों के जीवन-यापन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अलग योजना**: वर्तमान में 15-18 वर्ष की आयु के बालकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों यथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को शामिल करते हुए एक लक्षित योजना की आवश्यकता है।
3. **जीवन-यापन कौशल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम**: विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों के लिए जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण, विशेष रूप से मूलभूत कौशल और रोजगार कौशल जैसे कि भाषा और सॉफ्ट कौशल में प्रशिक्षण, आवश्यक है। पाठ्यक्रम, किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।
   - राष्ट्रीय स्तर पर जीवन-यापन कौशल पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने की आवश्यकता है, जिसे राज्य स्तर पर राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया जा सकता है।
   - एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यचर्या तैयार करते समय, कक्षा IX-XII के लिए जीवन-यापन कौशल पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
   - इसके अलावा, जीवन-यापन कौशल पाठ्यक्रम में संघर्ष समाधान, नेतृत्व निर्माण, आत्मरक्षा, निर्णय-निर्माण, मूल्य, वितीय योजना, बुनियादी मानव अधिकार, भारत में बाल अधिकार, हिंसा और दुर्व्यवहार पर जागरूकता को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
   - इसके अतिरिक्त, जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। कौशल विकास कार्यक्रमों या स्वतंत्र जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक ब्रिज पाठ्यक्रम के रूप में जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

15-18 वर्ष आयु वर्ग की विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों के व्यावसायिक और जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा डिप्टी स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में 27 अक्टूबर 2017 को आयोजित संगोष्ठी

समय	सत्र
1100 बजे - 1115 बजे	श्री प्रियंक कानूनगो, सदस्य, एनसीपीसीआर द्वारा मुख्य संबोधन
1115 बजे - 1145 बजे	**किशोरियों का जीवन-यापन कौशल प्रशिक्षण** - श्रीमती नैना सहस्रबुद्धे, उपाध्यक्ष, भारतीय स्त्री शक्ति द्वारा प्रस्तुतिकरण
1145 बजे - 1215 बजे	**किशोरियां और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण -** डॉ. मेधा सोमैया, चेयर प्रोफेसर, स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, टीआईएसएस द्वारा प्रस्तुतिकरण
1215 बजे - 1230 बजे	**किशोरों का व्यावसायिक प्रशिक्षण -** डॉ. ममता श्रीवास्तव, एनआईओएस द्वारा प्रस्तुतिकरण
1230 बजे - 1300 बजे	**किशोरियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण** - सेक्टर कौशल परिषदों/सार्वजनिक उपक्रमों/कॉर्पोरेट हाउसों द्वारा प्रस्तुतीकरण
1300 बजे - 1400 बजे	मध्याह्न भोजन
1400 बजे - 1415 बजे	**किशोरियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण** - सेक्टर कौशल परिषदों/सार्वजनिक उपक्रमों/कॉर्पोरेट हाउसों द्वारा प्रस्तुतीकरण
1415 बजे - 1430 बजे	**बालक और व्यावसायिक प्रशिक्षण -** डॉ. राजेश खंबायत, संयुक्त निदेशक, पीएसएससीआईवीई (एनसीईआरटी), भोपाल
1430 बजे - 1435 बजे	**कौशल प्रशिक्षण और सीएसआर -** प्रोफेसर सरोज यादव, डीन, एनसीईआरटी
1435 बजे - 1530 बजे	**विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों के लिए व्यावसायिक और जीवन कौशल प्रशिक्षण को एकीकृत करना - आगे का रास्ता** खुली चर्चा
1530 बजे - 1540 बजे	श्रीमती स्तुति कक्कड़, अध्यक्ष एनसीपीसीआर द्वारा संबोधन
1540 बजे - 1600 बजे	श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संबोधन
1600 बजे - 1610 बजे	श्री प्रियंक कानूनगो, सदस्य, एनसीपीसीआर द्वारा समापन टिप्पणी और धन्यवाद प्रस्ताव
हाई-टी	